संख्या: 3/2016/479/पैंतीस-2-2016-3/39(36)/13

प्रेषक,

राम रेखा पाण्डेय ,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2016**

विषय- **" सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार " योजना के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा विकास खण्डों हेतु कम्प्यूटर (सहवर्ती उपकरण सहित) का क्रय किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 72/ले0-33/2011, दिनांक 21.01.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यू0पी0डेस्को से 53 कम्प्यूटर (सहवर्ती उपकरण सहित) क्रय किये जाने हेतु रू0 74,71,000/- की धनराशि यू0पी0डेस्को को अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में शासन के शासनादेश संख्या-1/2016/430/पैतीस-2-2016-3/39(36)/13, दिनांक 17.03.2016 द्वारा प्रश्नगत कम्प्यूटर क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 74,71,000/- (रू0 चौहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त यू0पी0डेस्कों से 53 कम्प्यूटर (सहवर्ती उपकरण सहित) क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रू0 74,71,000/- (रू0 चौहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) का अग्रिम आहरण कर यू0पी0डेस्को, लखनऊ को भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :-

(1) उक्त अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या: ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा अग्रिम रूप से आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2016 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(3) कार्यदायी संस्था को धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराने का दायित्व अर्थ् एवं संख्या प्रभाग का होगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होगा।

(5) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता व दर सुनिश्चित करने का दायित्व अर्थ एवं संख्या प्रभाग का होगा।

(6) अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) प्रश्नगत कम्प्यूटर का क्रय आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सुसंगत शासनादेशों, वित्तीय नियमों/क्रय नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत कम्प्यूटर क्रय उपरान्त कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना का सत्यापन रिपोर्ट निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(9) प्रश्नगत धनराशि व्यय के उपरान्त यदि कोई शासकीय हानि/अनियमितता परिलक्षित होती है तो उसके लिए कार्यालय अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्किीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अन्र्तगत मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: एफ-ए-1-158/दस-2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 3/2016/479 (1)/पैतीस-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।